प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 00502/2020-2021 दिनांक 15/07/2020

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/FIR/02410/2020-2021 पत्रावली संख्या:Ag-39595 दिनांक:2005-2006

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **गुरूनानक समाज सेवा शिक्षा समिति, 2A/108, आवास विकास कालोनी शिकोहाबाद जिला–फिरोजाबाद, फिरोजाबाद , 205135** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 741/2005-2006 दिनांक-07/07/2005 को दिनांक-07/07/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(VINOD KUMAR SINGH)
8B206BBF34BACCF353DD390B1DA6EE14359A91F4
Date: 15/07/2020 3:44:33 PM, Location: Agra.

जारी करने का दिनांक-15/07/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

संशोधित स्मृति–पत्र

1–संस्था का नाम– गुरूनानक समाज सेवा शिक्षा समिति

2–संस्था का पता– 2 ए/108 आवास विकास कालोनी शिकोहाबाद जिला–फिरोजाबाद ।

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा ।

4–संस्था के उद्‌देश्य–

1– संस्था का उद्‌देश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह–जगह विद्यालयों एंव विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र–छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक एंव कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना ।

2– संस्था का उद्‌देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राईमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल एंव इण्टरमीडिएट तथा आवश्यकतानुसार महाविद्यालय तक के विद्यालयों की स्थापना कर कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर एंव हार्डवेयर, तकनीकी शिक्षा तथा कम्प्यूटर एंव अन्य का ज्ञान निःशुल्क उपब्ध कराना ।

3– संस्था का उद्‌देश्य निर्धन, अनाथ, अपंग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व उनके छात्रवृत्ति की निःशुल्क समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एंव पुस्तकालय, वाचनालय, कीडा स्थल, व्यायामशाला की निःशुल्क व्यवस्था करना।

4– संस्था का उद्‌देश्य हिन्दी भाषा, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि प्रचलित भाषाओं एंव साहित्य विज्ञान, टैक्नीकल तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी शिक्षा का निःशुल्क प्रबन्ध करना।

5– संस्था का उद्‌देश्य बच्चों को स्वावलम्बी एंव आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें निःशुल्क शिक्षण प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें आत्म निर्भर एंव योग्य नागरिक बनाना व राष्ट्र विकास में सहयोग करना ।

6– कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एंव राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग एंव शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करना एंव सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त करना ।

7– संस्था का उद्‌देश्य समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरें, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी का आयोजन करना तथा प्रौढ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम मद्यनिषेध कार्यक्रम चलाना ।

8– केन्द्रीय एंव राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्राइंग पेटिंग कला प्रशिक्षण तथा टंकण आशुलिपि एंव कम्प्यूटर प्रशिक्षण निःशुल्क देकर/दिलाकर उन्हें आत्म निर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना ।

9– महिलाओं एंव बच्चों के सर्वागींण विकास हेतु शहरी एंव ग्राम्य क्षेत्र के पिछडे क्षेत्रों एंव मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृशिशु पोषण, महिला एंव बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण कार्यक्रमों आदि को निःशुल्क चलाना व उनके कल्याण हेतु सरकार की योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एंव समय–समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।

10– पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने एंव प्रदूषण को कम करने के उद्‌देश्य से वृक्षारोपण कराना एंव पौधशाला की स्थापना करना एंव ऊसर खाली पडी बंजर भूमि पर सरकार के माध्यम से सघन वृक्षीकरण करना एंव वनीकरण को बढाना देना पर्यावरण के प्रति लोगों में जनजागृति पैदा करना एंव उसके लिए शिविरों, गोष्ठियों, सेमिनार, सभाओं का आयोजन करना पर्यावरण के प्रति लोगों में जनचेतना पैदा करना ।

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्यालय उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
28-7-23

Gurdayal Singh   Kanr   Royal

संशोधित नियमावली

1–संस्था का नाम– गुरूनानक समाज सेवा शिक्षा समिति

2–संस्था का पता– 2 ए/108 आवास विकास कालोनी शिकोहाबाद जिला–फिरोजाबाद ।

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा ।

4–संस्था के उद्देश्य – संलग्न स्मृति पत्र के अंकितानुसार ।

5–संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

1–संरक्षक सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को 1001/–रूपये या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा ।

2–आजीवन सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 501/–रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

3–साधारण सदस्य–जो सज्जन इस संस्था को प्रति वर्ष 251/–रूपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा ।

4–विशिष्ट सदस्य–ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होगें सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संस्था को स्वीकार होगा । ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा । परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की संख्या–5 से अधिक न होगी ।

6–सदस्यता की समाप्ति–1–मृत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर ।

2–सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।

3–संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर ।

4–किसी सदस्य के विरूद्ध 2/3 बहुमत से अधिक मतों से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर ।

5–त्याग पत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर ।

6–न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर ।

7–संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

7–संस्था के अंग– (1) साधारण सभा । (2) प्रबन्धकारिणी समिति ।

8–साधारण सभा– <u>गठन</u>–साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

<u>बैठकें</u>–साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी ।

<u>सूचना–अवधि</u>–साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी ।

<u>गणपूर्ति</u>–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

<u>विशेष वार्षिक अधिवेशन</u> –संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से जय कर ली जायेगी ।

<u>साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–</u>

1–प्रबन्धकारिणी समिति का समय–समय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना।

2–संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।

3– संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना ।

Gurdayal Singh सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
28-7-23

Royal

9–प्रबन्धकारिणी समिति–

गठन–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की आम सभा के 2/3 बहुमत से सदस्यों को चुनकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होगें । सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई बढाई जा सकती है जो कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 होगी ।

बैठक–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी।

सूचना–अवधि–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी ।

गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

रिक्त स्थानों की पूर्ति–प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकिस्तमक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिए कर ली जावेगी।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था के उन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना ।

2–संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।

3–संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कराना ।

4–संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एंव राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयें एंव अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों,निकायों, नागरिकों आदि से दान अनुदान, चंदा एंव बैक आदि से ऋण एंव वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एंव चैरिटेबिल कार्यो की पूर्ति हेतु व्यय करना।

<u>(ल)कार्यकाल</u>– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा ।

10–पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य–

1–<u>अध्यक्ष</u>– 1–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।

2–मीटिंग बुलाना व स्थिगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।

3–संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व संस्था की आम देखभाल करना।

<u>2–उपाध्यक्ष</u> अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप में सौपे गये सवीकृत कार्यो को करना सामान्य व विषम परिस्थितियों में उनका सहयोग करना ।

<u>3–प्रबन्धक/सचिव</u> –1– संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना।

2–संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व कार्यक्रमों का पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से संचालन व प्रचार प्रसार करना ।

3–संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व संस्था की आम देखभाल करना।

4–संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना दान, अनुदान तथा अन्य श्रोतो से प्राप्त सम्पत्ति व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना । प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना।

5–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एंव समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
28-7-23

6–संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एंव कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निष्कासन, पदोन्नति एंव पदच्युत करना तथा उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।

4–उपप्रबन्धक / उपसचिव– संस्था प्रबन्धक / सचिव की उपस्थिति में कार्यो में सहयेाग प्रदान करना तथा अनुपस्थिति में कार्यो में सहयोग प्रदान करना ।

5–**कोषाध्यक्ष–** 1–संस्था के आय–व्यय की रूपरेखा तैयार करना ।
2–प्रबन्धक / सचिव द्वारा सौपे गये कार्यो को करना ।

11–संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रकिया–
संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।

12–संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था–संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक / सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

13–संस्था का लेखा परीक्षण(आडिट)–संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जावेगा ।

14–संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व–
संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही प्रबन्धक / सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

15–संस्था के अभिलेखः– 1–सदस्यता रजिस्टर 2–कार्यवाही रजिस्टर 3–एजेण्डा रजिस्टर
4–स्टाक रजिस्टर 5–कैश बुक आदि ।

16–संस्था के विघटन–यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा0रजि0अधि0 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी ।

दिनॉक–21–06–2015

<u>सत्यप्रतिलिपि</u>

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
28723

[illegible] समाज सेवा शिक्षा समिति, 2ए/108 आवास विकास कालोनी शिकोहाबाद फिरोजाबाद
[illegible]न्धसमिति की सूची वर्ष–2020–2021

74

[illegible] नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–श्रीमती बलबीर कौर पत्नीश्री तरनजीत सिंह	वार्ड नं0–18 इन्दरा रोड मलोट मुक्तसर साहिब पंजाब	अध्यक्ष	गृहकार्य
2–श्री सुरेन्द्र कौर पत्नीश्री त्रिलोचन सिंह	धोबी गली शिकोहाबाद फिरोजाबाद	उपाध्यक्ष	गृहकार्य
3–श्री तजेन्द्र सिंह पुत्रश्री गुरूदयाल सिंह	2ए/108 आवास विकास कालोनी शिको0 जिला–फिरोजाबाद	प्रबन्धक/सचिव	व्यापार
4–श्रीमती चरनजीत कौर पत्नीश्री त्रिलोक सिंह	कटरा मीरा शिकोहाबाद जिला–फिरोजाबाद	उपप्रबन्धक/ उपसचिव	गृहकार्य
5–श्री बलजीत कौर पुत्रीश्री मनोहरसिंह	कृष्णानगर बुलन्दशहर	कोषाध्यक्ष	गृहकार्य
6–श्रीमती गुरदीप सिंह पत्नीश्री हरवंश सिंह	यादव कालोनी शिकोहाबाद फिरोजाबाद	सदस्य	गृहकार्य
7–श्रीमती इन्द्रजीत कौर पत्नीश्री भूपेन्द्रपाल सिंह	738 दर्जी गली कटरा मीरा शिकोहाबाद जिला–फिरोजाबाद	सदस्य	गृहकार्य
8–श्री रोजल मल्होत्रा पुत्रश्री सुरेन्द्र सिंह	दर्जी गली कटरा मीरा शिकोहाबाद जिला–फिरोजाबाद	सदस्य	व्यापार
9–श्री तिलक सिंह पुत्रश्री रामसनेहीलाल	ग्राम व पो0 मॉडई शिकोहाबाद फिरोजाबाद	सदस्य	कृषि
10–श्री नरेन्द्र सिंह पुत्रश्री प्यारा सिंह	दर्जी गली कटरा मीरा शिकोहाबाद जिला–फिरोजाबाद	सदस्य	व्यापार
11–श्रीमती रजिवन्दर कौर पत्नीश्री सोहन सिंह	सब्जी मण्डी शिकोहाबाद जिला–फिरोजाबाद	सदस्य	शिक्षिका
12–श्री कुलदीप सिंह पुत्रश्री सरदूल सिंह	सब्जी मण्डी शिकोहाबाद जिला–फिरोजाबाद	सदस्य	व्यापार

सोसाइटी अधि0 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं प्रमाणित नहीं है। पत्रावली पर पृष्ठ सं0 74 पर उपलब्ध है।

प्रधान सहायक
कार्या0 उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
28.7.23

Balbeer Kaur